60

संख्याः- 92 /XIV-1/2013-05(7)/2012

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः-1 देहरादूनः दिनांकः 01 फरवरी, 2013

विषय- वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजनेत्तर पक्ष में सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-6109-10 नियो0/लेखा-बजट/2012-13 दिनांक 09 जनवरी, 2013 एवं अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या-209-10/सह0न्या0/2012-13/दिनांक 03 जनवरी, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की विभिन्न मदों हेतु शासनादेश संख्या-608/XIV-1/2012-05(6)/2012 दिनांक 11अप्रैल,2012 व शासनादेश संख्या-1196/XIV-1/2012-05(6)/2012 दिनांक 06 जुलाई, 2012 तथा सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आयोजनेत्तर पक्ष में शासनादेश संख्या-607/XIV-1/2012 -05(7)/2012 दिनांक 16 अप्रैल,2012 एवं शासनादेश संख्या-1685/XIV-1/2012-05(7)/2012 दिनांक 12जुलाई, 2012 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि में से संलग्न बी0एम0 प्रपत्रानुसार पुर्नविनियोग सहित कुल रूपये 9,55,000/-(नौ लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन तथा व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-45(NP)/XXVII-4/2013 दिनांक 30 जनवरी, 2013 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव।

संख्याः–92 (1)/XIV–1/2013,तद्दिनांक,

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. .अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, देहरादून।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
6. निदेशक, एन0आइ0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

मेरा

(रमेश कुमार)

उप सचिव।